UPSH240032422021

न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर, शाहजहांपुर।
परिवाद सं0–1830/2021।

नरेन्द्र सिंह बनाम विजेन्द्र सिंह आदि।
थाना–खुदागंज, जिला शाहजहांपुर।

08.09.2021

पत्रावली पेश हुई। आज पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थी ने संक्षेप में कथन किया है कि विपक्षी सं0–1 आज से लगभग एक वर्ष पूर्व कस्बा खुदागंज में सरकारी अस्पताल में तैनात फहीम डॉक्टर साहब को लेकर प्रार्थी के यहां आये थे तथा विपक्षी सं0–1 ने प्रार्थी से कहा कि मैं मैमर्स फिश फॉर्च्यून कम्पनी का डायरेक्टर एवं पार्टनर हूँ तथा मेरी कम्पनी का कार्यालय गुड़गांव में है और मत्सय पालन संबंधी मेरा बहुत बड़ा काम है तथा कम्पनी के समस्त कार्य मेरी देख रेख में सम्पादित होते हैं और मेरी कम्पनी द्वारा किये गये समस्त कार्यों के लिए मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ। विपक्षी ने प्रार्थी को बताया कि मेरी कम्पनी में 5,50,000/–रूपये एकमुश्त लगा देंगे तो मेरी कम्पनी 15 महीनों में 30 किस्ते मु0 33,750/–रूपये काटकर आपको प्रदान करेगी। प्रार्थी विपक्षी की बातों में आ गया और अपने बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक शाखा जलालपुर दीपपुर, के अपने खाता सं0– 56600100011744 से नफ्ट के माध्यम से दिनांक 01.07.2020 को मु0 1,00,000/–रूपये व दिनांक 22.07.2020 को नेफ्ट के माध्यम से 4,50,000/–रूपये विपक्षी कम्पनी में लगा दिये। प्रार्थी ने अपने खाता से मु0 5,50,000/–रूपये दो बार विपक्षी की कम्पनी में ट्रांसफर किये। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के खाता सं0–07020100002826 में दिनांक 21.09.2021 को मु0 33,750/–रूपये, दिनांक 14.10.2020 को मु0 33,750/–रूपये व दिनांक 10.11.2020 को मु0 33,750/–रूपये तीन बार भेजे। उसके बाद विपक्षी ने प्रार्थी को किस्त देना बंद कर दिया। प्रार्थी ने विपक्षी से कई बार किस्त भेजने का आग्रह किया लेकिन विपक्षी टाल मटोल करता रहा। प्रार्थी द्वारा डॉक्टर फहीम व अनिल कुमार सिंह व दिनेश सिंह व आप विपक्षी व अन्य कई लोगों को इकट्ठा कर कस्बा खुदागंज में पक्का तालाब पर पंचायत जोड़ी और विपक्षी से रूपया वापसि करने के लिए कहा तो आप विपक्षी ने कहा कि मेरी कम्पनी की माली हालत ठीक नहीं है और मैं अब अपनी कम्पनी का ज्यादा विस्तार करना नहीं चाहता हूं और मैं आप को अग्रिम हितलाभ सहित मु0 5,00,000/–रूपये की चैक दे रहा हू। आप अपने खाता में चैक लगाकर भुगतान प्राप्त कर लेना। विपक्षी ने उपरोक्त लोगों के सामने प्रार्थी को आई0डी0एफ0सी0 फस्ट बैंक गुड़गांव गैलेरिया ब्रांच की अपने खाता सं0–10048848010 की चैक सं0–001056 दिनांकित 28.02.2021 मु0 5,00,000/–रूपये की एकाउंट पेयी चैक दे दी और कहा कि भुगतान प्राप्त कर लेना। विपक्षी द्वारा प्रार्थी को दिये गये उपरोक्त चैक को उसने बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में अपने खाता सं0–56600100011744 में दिनांक 24.05.2021 को लगाया, परन्तु बैंक ने क्लीरेन्स प्रक्रिया अपनाने के बाद यह कहते हुए भुगतान देने से मना कर दिया कि चैक देने वाले का एकाउंट डेविट फ्रीज है, जिस कारण भुगतान प्रदान नहीं किया जा सकता है और बैंक ने मूल चैक व रिटर्न मेमो0 रिपोर्ट दिनांकित 27.05.2021 प्रदान कर दी। विपक्षी की कम्पनी का एकाउंट डेविट फ्रीज होने के कारण प्रार्थी को आपके द्वारा प्रदान किये गये चैक का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका, जिस कारण आप विपक्षी द्वारा प्रार्थी को दिया गया चैक वाउंस हो गया। प्रार्थी को उक्त चैक का भुगतान प्राप्त न हो पाने पर प्रार्थी विपक्षी को मौखिक रूप से एकाउंट डेविट फ्रीज होने के की सूचना दी और नकद रूपया देने अथवा खाता में रूपया डालने के लिए कहा तो विपक्ष्ज्ञी ने तीन दिन में सारा रूपया खाता में डालने का बचन दिया, परन्तु विपक्षी ने फिर भी प्रार्थी के एकाउंट में रूपया नहीं डाला और न ही रूपया नकद रूप में दिया। मजबूरी में प्रार्थी को कानूनी नोटिस देने की आवश्यकता हुई। विपक्षी ने प्रार्थी को गुमराह कर एवं उसके साथ भयंकर छल कपट धोखा धड़ी एवं जालसाजी कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थी से अपनी कम्पनी के खाता में मु0 5,50,000/–रूपये डलवाये और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसके रूपये हड़प लिए है और उसे एकाउंट डेविट फ्रिज का कूट रचित चैक जारी किया। विपक्षी ने अपने सहयोगी डॉक्टर फहीम डॉकटर साहब के माध्यम से प्रार्थी के साथ भयंकर छल कपट, धोखाधड़ी एवं जालसाजी एवं बेईमानी की है।

परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है और अभिलेखीय साक्ष्य के संबंध में सूची कागजात एक किता चैक सं0–001056 दिनांकित 28.02.2021 मूल रूप में, एक किता नोटिस की फोटो प्रति दिनांकित 10.06.2021, एक किता नोटिस रजि0 दिनांकित 10.06.2021 की रसीदे मूल रूप में, एक किता जमा पर्ची दिनांकित 24.05.2021 की रसीद मूल रूप में, एक किता चैक रिटर्न मेमो पत्र दिनांकित 26.05.2021, दो किता नोटिस कम्पनी की फोटो प्रति दाखिल किये गये है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में विपक्षी सं0–1 विजेन्द्र कुमार अपने साथ फहीम डॉक्टर साहब को लेकर अपने यहां आना बताया गया है। विपक्षी सं0–1 ने परिवादी को मैसर्स फिश फॉर्च्यून कम्पनी का पार्टनर बताया और कहा कि यदि आप मेरी कम्पनी में 5,50,000/–रूपये लगा देते हैं तो हमारी कम्पनी

आपको 15 महीने में 30 किस्ते मु0 33,750/–रूपये काटकर देगी। परिवादी उनकी बातों में आ गया और विपक्षी संख्या को अपनी बडौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक, शाखा जलालपुर दीपपुर के खाता सं0–56600100011744 से नेफ्ट के माध्यम से दिनांक 01.07.2020 को 1,00,000/–रूपये व निांक 22.07.2020 को नेफ्ट के माध्यम से मु0 4,50,000/–रूपये कुल रूपये 5,50,000/–रूपये देना बताया गया है। विपक्षी सं0–1 द्वारा परिवादी को तीन 33,750/–रूपये की दी गयी, उसके बाद विपक्षी सं0–1 द्वारा किस्ते बंद करना बताया गया है। जब परिवादी ने पंचायत जोड़ी तब विपक्षी सं0–1 ने परिवादी को आई0डी0एफ0सी0 फस्ट बैंक, गुड़गांव गैलेरिया ब्रांच के अपने खाता सं0–10048848010 की चैक सं0–001056 दिनांकित 28.02.2021, मु0 5,00,000/–रूपये देना बताया गया। उपरोक्त चैक को परिवादी ने बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में अपने खाता सं0–56600100011744 में दिनांक 24.05.2021 को लगाया, तो बैंक द्वारा क्लीरेन्स प्रकिया अपनाने के बाद यह कहते हुए भुगतान देने से मना कर दिया कि चैक देने वाला एकाउंट डेविट फ्रिज होने के कारण आपको भुगतान प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसके संबंध में परिवादी की ओर से बैंक की मेमो रिटर्न रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

राहुल सुधाकर अनन्तवार बनाम शिवकुमार कन्हैयालाल श्रीवास्तव, किमीनल अपील सं0–1598/2019, एस0एल0पी0 (सी0आर0एल0)नं0–10408/2018 में प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रश्नगत चैक खाताधारक के खाते के बंद होने के कारण भी यदि प्रश्नगत धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है, तो भी धारा–138 एन0आई0 एक्ट के तहत अपराध कारित माना जायेगा।

अतः विपक्षी सं0–1 विजेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी के 5,50,000/–रूपये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर छल व कपटपूर्वक कूटरचना से हड़प करना बताया गया है। सभी तथ्यों से यह परीलक्षित होता है कि प्रथमदृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने का पर्याप्त आधार है जिसके विचारण के लिए अभियुक्त को तलब किया जाना विधिसंगत होगा।

आदेश

विपक्षी सं0–1 विजेन्द्र कुमार को अंतर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट0 में तलब किया जाता है। अभियुक्त जरिये समन दिनांक 29.10.2021 के लिए तलब हो।

प्रार्थी नियमानुसार पैरवी करे।

अपर सिविल जज(सी0डि0)/जे0एम0
तिलहर, शाहजहांपुर